न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 69/2024

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम एवम् 136 एल.आर.एक्ट

सुरेन्द्र कौर (पुत्री स्वर्गीय श्री जोरा सिंह) पत्नी श्री धर्मपाल जाति जटसिख उम्र 59 वर्ष निवासी चक 2 के ग्राम पंचायत व पोस्ट मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

-- वादी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

-- प्रतिवादी

उपस्थित– अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी (वादी)
पैरोकार राज (प्रतिवादी)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 29.10.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार चक 2 के पटवार हल्का 4 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 88/43 के मुरब्बा नम्बर 23 की कुल 1.126 है. नहरी कृषि भूमि में से 1113/1126 हिस्सा यानि 1.113 है. कृषि भूमि वादीया के नाम (सलिन्द्र कौर पुत्री जोरा सिंह) से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न वाद है । चूंकि उक्त वाद पत्र की मद संख्या 2 में वादी के नाम दर्ज उक्त कृषि भूमि वादी के पिताजी जोरासिंह पुत्र नारायण जाति जटसिख निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा अपने जीवनकाल में श्रीमान उप पंजीयक, श्रीगंगानगर के कार्यालय में की गई वसीयत तहरीर दिनांक 29/04/1993 पंजीयन दिनांक 30/04/1993 के स्वर्गवास होने के बाद नामान्तरण संख्या 241 दृदिनांक 13/07/2005 के द्वारा वादीया के घरेलू नाम "सलिन्द्र कौर" से दर्ज हुई है जबकि वादीया के आधार कार्ड, जन आधार कार्ड व बैंक खाता आदि में वादीया का नाम "सुरेन्द्र कौर" अंकित है । "सलिन्द्र कौर" एवं "सुरेन्द्र कौर" नाम एक ही है लेकिन वादीया के पिताजी के अनपढ़ होने के कारण सही नाम बताये जाने के बावजूद भी लिपिकीय त्रुटी से वसीयत के अंकन के समय सुरेन्द्र कौर की जगह "सलिन्द्र कौर" अंकित कर दिया है जबकि वादीया के पिताजी की अन्य किसी पुत्री का नाम नहीं है । वादीया के पिताजी द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी सेवा से खुश होकर वादीया के हक में करवाई गई वसीयत में वर्तनी/लिपिकीय त्रुटी से अंकित हुए "सलिन्द्र कौर" को "सुरेन्द्र कौर" घोषित करवाने की अधिकारी है। वादीया का कृषि भूमि के रिकार्ड में वादीया का लिपिकीय त्रुटी के कारण अंकित हुआ घरेलू नाम "सलिन्द्र कौर" नाम दर्ज होने के कारण वादीया के नाम से जारी आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता आदि में अंकित नाम "सुरेन्द्र कौर" से मिलान नहीं होता है जिसके कारण वादीया को कृषि ऋण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

सुविधा, सहकारी ऋण सुविधा लेने में भारी अड़चने पैदा होती है इसके अलावा काश्तकारो को समय समय पर मिलने वाली खाद, बीज, मुआवजा आदि की सुविधाओ से भी वादीया वंचित हो रही है तथा अपने पिताजी द्वारा वादीया को दी गई कृषि भूमि के समस्त हक व अधिकारो का भली प्रकार उपयोग करने से वंचित हो रही है जवकि कृषि भूमि के रिकार्ड में अंकित "सलिन्द्र कौर" एवं वादीया के वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वैंक खाता, जन आधार कार्ड आदि में दर्ज "सुरेन्द्र कौर" वादीया का ही नाम है तथा एक ही महिला है । वादीया के आधार कार्ड, वोटर कार्ड, वैंक खाता, जन आधार कार्ड की फोटो प्रतियां संलग्न वाद पत्र है। वादीया ने दिनांक 09/02/2024 को प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष अपनी समस्त वस्तुस्थिती से अवगत करवाते हुए राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दरूस्त करवाने हेतू निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी ने श्रीमान जी न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर नाम दरूस्त करवाने हेतू हिदायत दी, वस यही वाद कारण है इसलिए वादीया को उक्त दावा हाजा प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वादीया नेकनीयत है वादीया क्लीन हैण्ड से उक्त दावा पेश कर रही है। प्रतिवादी लैण्ड होल्डर है एवं राजस्व रिकार्ड का संधारण करता है इसलिए पक्षकार बनाया गया है । वादीया के नाम दर्ज कृषि भूमि एसवीबीजे वैंक के पक्ष में रहन दर्ज है लेकिन वैंक से लिये गये ऋण की बाबत किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है वादीया उक्त ऋण की राशि जमा करवाने हेतू पाबन्द है। इसलिए वादीया ने बैंक को पक्षकार संयोजित नहीं किया है।वाद की विषय वस्तु केवल राजस्व रिकार्ड में वर्तनी के कारण लिपिकीय त्रुटी से अंकित हुए नाम की घोषणा एवं दुरूस्ती है का है इसलिए स्टेट के अलावा अन्य कोई आवश्यक पक्षकार संयोजित करना विधिक नहीं है। दावा घोषणात्मक है जो 2/–रूपये के उचित न्याय शुल्क पर पेश है । वादीया के नाम दर्ज कृषि भूमि चक 2 के तहसील श्रीगंगानगर की है उक्त कृषि भूमि की सीमा श्रीमान जी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है इसलिए वाद पत्र श्रीमान जी न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। लिहाजा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र वादीया स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे :–

(क) :– चक 2 के पटवार हल्का 4 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 88/43 के मुरब्बा नम्बर 23 की कुल 1.126 है. नहरी कृषि भूमि में से सलिन्द्र कौर पुत्री जोरा सिंह के नाम दर्ज 1113/1126 हिस्सा यानि 1.113 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक के अंकन को दुरस्त किया जाकर "सुरेन्द्र कौर पुत्री जोरा सिंह" अंकित करने के आदेश दिये जावे"।

(ख). अन्य कोई अनुतोष जो वादीया के हित में हो प्रदान किये जावे।

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें अंकित तथ्यानुसार मुताबिक जांच रिपोर्ट पटवारी हलका आराजी चक 2 के खता संख्या 88 मु.नं. 23 में श्रीमति सलिन्द्र कौर पुत्री जोरा सिंह जाति जट सिख सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड राजस्व है। नामा. संख्या 241 दिनांक 13.07.2005 वसीयत सलिन्द्र कौर पुत्री जोरा सिंह जाति जट सिख के माध्यम से नामान्तरणकरण दर्ज

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

हुआ। उक्त नामान्तरणकरण वसीयत अनुसार ही सलिन्द्र कोर पुत्री जोरा सिंह के नाम ही दर्ज हुआ है । अतः पटवारी द्वारा रिकॉर्ड में अंकन करते समय सहवन सें कोई त्रुटि नहीं हुई है। पटवारी हलका अनसार मौका जांच करने पर पाया कि सलिन्द्र कौर पुत्री जोरा सिंह व सुरेन्द्र कौर पुत्री जोरा सिंह दोनों एक ही नाम की महिला है।

वादीया द्वारा साक्ष्य वादी में स्वयं सुरेन्द्र कौर(पुत्री स्वर्गीय श्री जोरा सिंह) पत्नी श्री धर्मपाल जाति जट सिख उम्र 59 वर्ष निवादी चक 2 के ग्राम पंचायत व पोस्ट मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

वहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2071–2074, ग्राम 2 के, पटवार हल्का 4 के, भू.अ.नि. क्षेत्र मिर्जेवाला खाता संख्या 88/43, जमाबंदी सम्वत् 2071–2074, ग्राम 2 के, पटवार हल्का 4 के, भू.अ.नि. क्षेत्र मिर्जेवाला खाता संख्या 141/39, दस्तावेज वसीयतनामा की प्रति, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड की प्रतियां पेश की। जिनका अवलोकन किया गया। अतः प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवम् तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य पाया गया।

–::आदेश ::–

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की रिपोर्ट, वादीया के स्वयं के शपथ पत्र, एवम् प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर वाद स्वीकार किया जाकर चक 2 के पटवार हल्का 4 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के उपयुक्त खाता संख्या 88/43 के मुरब्बा नम्बर 23 की कुल 1.126 है. नहरी कृषि भूमि में से सलिन्द्र कौर पुत्री जोरा सिंह के नाम दर्ज 1113/1126 हिस्सा यानि 1.113 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक के अंकन सलिन्द्र कौर पुत्री जोरा सिंह को दुरस्त किया जाकर सुरेन्द्र कौर पुत्री जोरा सिंह राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 29.10.2024 को जारी किया जाकर खुले न्यायालया में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर